न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 13/2014
पंजीयन दिनांक 10.03.2014

(1). अम्बालाल पिता गोपीलाल दशोरा जाति ब्राहम्ण निवासी 106 सी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय-
1/1. रतनदेवी पत्नी अम्बालाल दशोरा जाति ब्राहम्ण निवासी 106 सी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
1/2.अरूण कुमार पिता अम्बालाल दशोरा जाति ब्राहम्ण निवासी 106 सी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
1/3.जितेन्द्र कुमार पिता अम्बालाल दशोरा जाति ब्राहम्ण निवासी 106 सी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). भंवरलाल पिता गोपीलाल दशोरा जाति ब्राहम्ण निवासी भट्ट्रो का मोला मुकुन्दपुरा घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 149/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2013

उपस्थित वक्त बहस-(1). खूमराज कुमावत-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). रमेशचन्द्र दशोरा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय **दिनांक 11.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 41 रकबा 2.78 हैक्टेयर अवस्थित है जिस पर अपीलांट वादी का विगत 45 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। वादपत्र मे विवादित कृषि आराजीयात के पडौस भी अंकित किये व यह निवेदन किया कि उक्त तथ्य को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05.09.1989 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार कर रखा है। उक्त प्रार्थना पत्र जया होने के कारण प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति संलग्न है। यह भी निवेदन किया कि कानून म्यांद अधिनियम 1963 की धारा 27 एवं कब्जा मुखालफाने के आधार पर उक्त जमीन पर अपीलांट वादी का 12 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। जिससे अपीलांट वादी खातेदार हो चुका है। व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी समाप्त हो चुकी है। जिससे उक्त आराजीयात का कब्जा अपीलांट वादी को दिलाया जावे व अन्तवर्ति लाभ भी दिलाया जावे व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अपीलांट वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 भी प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया व उक्त प्रार्थना पत्र पर लिखित व मौखिक बहस सुनी गई । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट वादी का वादपत्र रेसज्युडिकेटा से प्रभावित होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट वादी की ओर से आराजी संख्या 41 के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र को रेसज्युडिकेटा के आधार पर निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। जबकि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था। पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत थी। ऐसी स्थिति मे पत्रावली मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम की जाकर, उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिवायी जाकर पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत था। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होनेसे अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादी की ओर से आराजी संख्या 41 के संबंध मे कब्जेयाबी व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। आराजी संख्या 41 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। खातेदार के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आधार के कब्जेयाबी की डिक्री मांगने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। अपीलांट वादी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी सगे भाई रहे है। जिनके विरूद्ध पूर्व मे भी प्रकरण चले है व आराजी संख्या 41, 42 व अन्य आराजीयात के संबंध मे अपीलांट वादी स्वयं ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी के विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रकरण संख्या 214/90 प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.04.1991 को निरस्त किया गया है। उक्त वादपत्र मे आराजी संख्या 41 के संबंध मे भी वादी अपीलांट ने दाद चाही है जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा निरस्त की है। अपीलांट वादी स्वयं ने दिनांक 29.04.1991 की निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा मे अपील डिक्री 317/1991 प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा के द्वारा निर्णय दिनांक 27.03.1991 को निरस्त की गई। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलांट वादी ने किसी सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत नहीं की है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र रेसज्युडिकेटा से प्रभावित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत निर्णय व डिक्री है। अपीलांट वादी ने आधारहीन तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी के विरूद्ध कब्जेयाबी व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 24 नकल जमाबंदी आराजी संख्या 41

है। उक्त जमाबंदी मे विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। खातेदार के विरूद्ध अजनबी व्यक्ति को बिना घोषणा कराये कब्जा प्राप्त करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। अपीलांट वादी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी दोनो सगे भाई है व सगे भाई होने से दोनो के मध्य अन्य आराजीयात व आराजी संख्या 41 व 42 को लेकर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रकरण संख्या 214/90 अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.1991 से निरस्त किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट वादी स्वयं ने न्यायालय हाजा मे प्रथम अपील कमांक डिक्री 317/1991 प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 27.03.1992 को अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 214/1990 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.1991 को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील होना पत्रावली मे नहीं पाया जाता है जिससे अपीलांट वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पुनः वादपत्र प्रस्तुत करना रेसज्युडिकेटा से प्रभावित है जिससे अधीनस्थ विद्वान विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि होना नहीं होना पाया जाने से अपीलांटगण वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 149/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2013 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 13/2014 /डिक्री

① श्री अम्बालाल पिता गोपीलाल दशोरा जाति ब्राह्मण निवासी 106सी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय :—
1/1. रतनदेवी पत्नी अम्बालाल दशोरा जाति ब्राह्मण निवासी 106सी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
1/2 अरुण कुमार पिता अम्बालाल दशोरा जाति ब्राह्मण निवासी 106सी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलान्ट

बनाम

① श्री भंवरलाल पिता गोपीलाल दशोरा जाति ब्राह्मण निवासी मद्दे का मोला मुकुन्दपुरा बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
② राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण सं. 149/2012 दि. 30-12-2013 अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 11-10-2013 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रघुराज कुमावत रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रमेशचन्द्र दशोरा अधिवक्ता रेस्पो.नं.-1 पूरणमल विर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.2 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलांटगण वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 149/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 30-12-2013 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....—........ रुपये हैं, ...—........ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....—........ द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 11-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

दिनांक : 11-10-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.